न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /07 पुनरीक्षण

R 1037-I/07

प्राण सिंह बल्द जुझारसींग
निवासी ग्राम रतनपुर तहसील खुरई जिला
सागर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1. वीर सिंह वल्द पहाड सिंह मृतक
2. फूलसींग वल्द जुझारसींग
3. रतन सिंह पिता पहाड सिंह
4. कमला बाई पुत्री गंभीरसींग
5. मीराबाई पुत्री गंभीरसींग
6. कुंवर बाई पुत्री गंभीरसींग
7. पूना बाई पुत्री गंभीरसींगं
8. छीताबाई पुत्री पहाडसींग
9. फेरन सिंह पुत्र गंभीरसींग

समस्त निवासीगण ग्राम रतनपुर तहसील खुरई, जिला सागर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा प्र. कं. अ–27/06–07 में पारित आदेश दिनांक 18.5.07 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1037–एक/2007 जिला सागर

प्राणसिंह विरूद्ध वीरसिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–3–2019	आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय है। आवेदक अभिभाषक ने अभिलेख के आधार पर प्रकरण के निराकरण का अनुरोध किया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 27/अ–27/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 18–5–2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त ने प्रश्नाधीन आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि बटवारा प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा सहखातेदार वीरसिंह के हस्ताक्षर नहीं कराये हैं, न कथन लिये गये और न ही स्थल निरीक्षण में अनावेदक को आहूत किया गया। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ने संहिता की धारा 178 का उल्लंघन मानते हुये विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार खुरई को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है। अपर आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त सागर का आदेश दिनांक 18–5–2007 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर0के0 जैन) सदस्य 12.3.19	